जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में सतही स्त्रोत आधारित पेयजल योजना, आगरा (पैकेज–1 व पैकेज–2) के अन्तर्गत संशोधित प्राक्कलन की समीक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 03 जुलाई, 2025 को शाम 6:30 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 03 जुलाई, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी आवास स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा, श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा, समस्त सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), श्री संदीप शर्मा, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री रामायण सिंह यादव जिला विकास अधिकारी, डॉ0 सुशील कुमार, डिप्टी सीएमओ, श्री राहुल देव शर्मा, डी0आई0ओ0, श्री सुमित कुमार, बेसिक शिक्षा विभाग, श्री महेन्द्र पाल सिंह जूनियर अभियंता लघु सिंचाई, श्री एन0के0 सिंह अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, श्री विनोद कुमार डी0ए0ओ0, श्री राजेन्द्र पाल चौधरी, आर0एफ0ओ0, भूगर्भ जल विभाग, श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 लि0 से श्री पीएल पाण्डेयन, श्री वी कुमार, मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 से श्री पचाराला नवीन पी0एम0, श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्त्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत संशोधित प्राक्कलन की समीक्षा के सम्बन्ध में सभी घटकों पर एजेन्सीवार विस्तृत चर्चा की गयी–

<u>रिवाइज्ड डी0पी0आर0 की समीक्षा</u>– समीक्षा में सर्वप्रथम उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता द्वारा रिवाइज्ड डीपीआर से सम्बन्धित सभी घटकों के बारे में बताया गया। जिसके सन्दर्भ में समिति द्वारा पूछा गया कि 81 ओवर हैड टैंकों का स्थान परिवर्तन किया गया है उसके क्या–क्या कारण हैं? इस पर अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों में जहाँ–जहाँ पर स्थान परिवर्तन किया गया है उन स्थानों की सूची सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थान परिवर्तन के पश्चात सत्यापित सूची प्रेषित की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूर्व में दिये गये ओवर हैड टैंकों के लिए चयनित भूमि के स्थानों में परिवर्तन (कारण सहित टिप्पणी) एवं तहसीलों के सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा स्थान परिवर्तन पर की गयी कार्यवाही की विस्तृत आख्या एवं वर्तमान में ओवर हैड टैंक के लिए चयनित भूमि की स्थिति की सत्यापित सूची तीन दिन के अन्दर मंगवायी जाये एवं आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत की जायें।

<u>कार्य की मात्रा एवं स्ट्रक्चर की डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति</u>– समीक्षा बैठक में समिति द्वारा कार्य की मात्रा एवं स्ट्रक्चर की डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति के बारे में पूछा गया जिस पर अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्य की मात्रा में हुए परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता के स्तर से प्रदान की जाती है एवं स्ट्रक्चर की डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से वैटिंग उपरान्त अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा की जाती है।

<u>यमुना एवं उटगन नदी पर प्रस्तावित सेतु एवं 17 नग शिरोपरि जलाशय की नींव में पाइलिंग का प्रावधान</u>– समीक्षा बैठक में समिति द्वारा यमुना एवं उटगन नदी पर प्रस्तावित सेतु एवं 17 नग शिरोपरि जलाशय की नींव में पाइलिंग का प्रावधान के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूछा गया कि पूर्व में निर्मित प्राक्कलन में पाइलिंग का प्रावधान क्यों नहीं था। जिस पर अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल निगम के कार्य Lump Sump दर के आधार पर कराये जाते हैं कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण उपरान्त स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्यस्थल पर हुये परिवर्तन के आधार पर सेतु एवं पाइलिंग का प्रावधान किया गया है।

<u>प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति का सक्षम स्तर</u>– समीक्षा बैठक में समिति द्वारा प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति का स्तर पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि यदि संशोधित प्राक्कलन की लागत SLSSC (State Level Scheme sanctioning committee) द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत है, तब प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं अधीक्षण क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर से कराते हुये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से वैटिंग उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अग्रसारित कराया जाता है तद् उपरांत उसकी वित्तीय स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा प्रदान की जाती है। यदि संशोधित प्राक्कलन की लागत SLSSC (State Level Scheme sanctioning committee) द्वारा स्वीकृत लागत से अधिक है, तब प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति नियोजन विभाग एवं व्यय एवं वित्तीय समिति, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जनपद आगरा के पैकेज–1 एवं पैकेज–2 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की लागत SLSSC द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत है।

<u>प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य की वर्तमान स्थिति</u>– समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य की स्थिति के बारे में पूछा गया जिस पर अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पैकेज–01 एवं पैकेज–02 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति पर अवगत कराते हुए एजेन्सीवार विवरण दिया गया–

<u>पैकेज–01 के निर्माण कार्यों की समीक्षा</u>

1. <u>भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति</u>– पैकेज–01 के अन्तर्गत मै0 एनसीसी के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा की गयी जिसमें अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि 07

सीडब्लूआर पर 51–75 प्रतिशत एवं 10 सीडब्लूआर पर 76–99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है एवं 17 पम्प हाउस में 8 सीडब्लूआर के पम्प हाउस पर 51–75 प्रतिशत एवं 09 सीडब्लूआर के पम्प हाउस पर 76–90 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाकर कार्य को तीव्र गति के साथ गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूर्ण करायें।

2. पाइप लेइंग– अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1987.71 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 1036.19 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 185.31 किमी0 एवं DI Pipe 1802.40 किमी0 बिछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 154.67 किमी0 एवं DI Pipe 1518.87 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 65.25 किमी0 एवं DI Pipe 970.94 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. मैन पावर– अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 789 के सापेक्ष मात्र 192 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहरी नाराजगी जतायी गयी और तत्काल मैनपावर बढ़ाने को निर्देशित किया गया।

4. रोड रेस्टोरेशन– अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 एनसीसी द्वारा रोड डिस्मेन्टलिंग 19.53 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.11 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 15.42 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। 21.04 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

5. कृषि फसलों का प्रतिकर– अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि फसलों का प्रतिकर से सम्बन्धित तहसील स्तर पर समिति बना दी गयी है, लेकिन अभी तक फसलों का प्रतिकर वितरण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि जो तहसील स्तर पर समिति बनाई गयी उसके द्वारा तत्काल फसलों का प्रतिकर वितरण सम्बन्धी प्रकिया प्रारंभ की जाये एवं अनुबंध में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था/विभाग द्वारा कृषि क्षतिपूर्ति का नियमानुसार वितरण तत्काल शुरू किया जाये। अगर फसलों का प्रतिकर वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

पैकेज–02 के निर्माण कार्यों की समीक्षा

1. अपर जलाशय (OHT) की प्रगति – पैकेज–02 के अन्तर्गत मेघा इंजी0 के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा की गयी जिसने अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि 407 ओएचटी में से 368 पर पीसीसी का कार्य हो चुका है एवं 09 ओएचटी पर खुदाई का कार्य करा दिया गया है अर्थात् कुल 377 ओएचटी पर कार्य प्रारम्भ/किया जा रहा है। अभी तक 30 ओएचटी पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी और मै0 मेघा के प्राजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाकर कार्य को समयान्तर्गत गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. पाइप लेइंग–अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3707.45 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि पाइप लेइंग का कार्य जल्द से जल्द पूण किया जाये।

3. मैन पावर– अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3210 के सापेक्ष मात्र 262 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहरी नाराजगी प्रकट की गयी और तत्काल मैनपावर बढ़ाकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के निर्देश दिये।

4. रोड रेस्टोरेशन– अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजी0 द्वारा रोड डिस्मेन्टलिंग 1175.05 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 873.02 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 302.03 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। 74.29 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। रोड रेस्टोरेशन की गुणवत्ता से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों तथा आम जनमानस से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। मै0 मेघा इंजी0 द्वारा किये जा रहे रोड रेस्टोरेशन के कार्यों में कहीं–कहीं पर गुणवत्ता की शिकायतें प्राप्त हो रही है। बरसात के मौसम में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण न होने से आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

मै0 एनसीसी द्वारा पैकेज–01 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में मैन पावर कम होने, पाइप लेइंग की धीमी प्रगति, रोड रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति आदि एवं मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा पैकेज–02 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में मैन पावर कम होने, पाइप लेइंग की धीमी प्रगति, रोड रेस्टोरेशन की गुणवत्ता खराब होने, रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण न किये जाने, शेष बची हुई 30 ओएचटी पर कार्य प्रारम्भ न करने, ओएचटी की प्रगति धीमी आदि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी

प्रकट की गयी। पिछली जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठकों, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे की साप्ताहिक बैठकों एवं अन्य जिलास्तरीय बैठकों में निर्देशित करने के उपरांत भी दोनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यों में प्रगति नहीं लायी जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर यदि उक्त कार्यों में प्रगति नहीं हुई तो अनुबन्ध के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए आप लोग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

[signature]

अधिशासी अभियंता/ सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 810 /जे०जे०एम०/का०कृ०/   दिनांक 08-7-2025

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रा०/ प्रो०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ करावे।
6. समस्त सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. डी०पी०एम०, विश्वसर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी०पी०एम०यू०), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. डी०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एण्ड (जे०वी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेघा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अधिशासी अभियंता/ सदस्य सचिव